राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	**भगवान सहाय बनाम रामप्यारी** 899/2016 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने वाद को विड्रा किये जाने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया गया था किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को न्याय आपके द्वारा 2016 में नियत कर मनमाने रूप से लिखा गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थी ने रजिस्टर्ड उपहार पत्र पेश कर रखा है, उसको निर्णय कराने के पश्चात पुन: दावा पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुये अपीलार्थी/वादी का वाद को विड्रा कर ख़ारिज करवाना चाहता है,जबकि ऐसा कोई तथ्य अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जाहिर ही नही किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तौर पर ही बिना लिखे कागजो पर वादी/अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित कर वाद को विड्रा कर गलत रूप से ख़ारिज कर दिया गया। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09/06/2016 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे एवं अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09/06/2016 को पत्रावली राजस्व कैम्प न्याय आपके द्वारा कैम्प लालगढ़ में नियत की गयी, जिस पर अपीलार्थी/वादी के हस्ताक्षर तथा अपीलार्थी/वादी की पहचान स्वरूप सरपंच ग्राम पंचायत लालगढ़ के हस्ताक्षर मय मोहर आदेशिका पर उपलब्ध है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष उद्धरित तथ्यों के आधार पर वाद को विड्रा किये जाने से निस्तारित किया गया है एवं कानूनन न्यायालय की आदेशिकाए स्वयं सिद्ध होती है, जिस पर संदेह का कोई कारण शेष नही रह जाता है। ऐसे में अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस उद्धरित तथ्य स्वीकार योग्य प्रतीत नही होते है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09/06/2016 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	